

उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-853/57-2018-7(3)/2015
लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2018

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय:- वर्ष-2018 में श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले 30 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

वर्ष-2018 में 30प्र0 राज्य के मूल निवासियों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु रू0-1.00 लाख का अनुदान दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले 30प्र0 के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0-1,00,000/- (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा पासपोर्ट; वीजा, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समयान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र ही अनुदान हेतु विचारणीय होंगे।
- 2- कैलाश मानसरोवर यात्रा का अनुदान भारत सरकार द्वारा करायी जाने वाली यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त ऐसे 30प्र0 राज्य के मूल निवासियों को भी देय होगा जो अपने व्यक्तिगत स्रोतों से यात्रा पूर्ण करेंगे।
- 3- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।
- 4- अनुदान हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस (तीन माह के भीतर) के अन्दर विभाग की धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर आन-लाइन आवेदन किया जाना होगा।
- 5- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वहन पर रखी जायेगी। (उक्त यात्रा का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-04- कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के मद के नामें डाला जायेगा)। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त

आवेदन पत्रों की संवीक्षा/परीक्षणोपरान्त, उपयुक्त पाये गये पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात महानिदेशक पर्यटन द्वारा आवेदक को अनुदान उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

7- अनुदान हेतु आवेदन पत्र www.updharmarthkarya.in पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस (तीन माह के भीतर) धर्मार्थ विभाग की इस वेबसाइट पर पासपोर्ट, वीजा, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड तथा अपने बैंक खाते का कैंसिल चेक संबंधी सुसंगत प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड करते हुये आन-लाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।



(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-853(1)//57-2018-7(3)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4- महानिदेशक, पर्यटन 30प्र0 लखनऊ।
- 5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, 30प्र0।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, 30प्र0
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, 30प्र0 शासन।
- 9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य, 30प्र0, निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 10- सामान्य प्रशासन अनुभाग। विभागीय आदेश पुस्तिका।



(अशोक कुमार तिवारी)
अनु सचिव।